प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 21 मार्च, 2016

विषय- 12वीं पंचवर्षीय योजना में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्लान के अन्तर्गत जनपद-सिद्धार्थनगर के वि0ख0-इटवा तहसील-इटवा में एवं वि0ख0-खेसरहा, तहसील-बांसी में राजकीय इण्टर कालेज के निर्माण हेतु केन्द्रांश की **द्वितीय किश्त** एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 19.02.2016 को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-444/52-1-2016-14(एम0एस0डी0पी0)/2013, दिनांक 19.02.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उक्त जनपद की वि0ख0-इटवा, तहसील-इटवा में एवं वि0ख0-खेसरहा, तहसील-बांसी में राजकीय इण्टर कालेज के निर्माण हेतु केन्द्रांश की **द्वितीय किश्त** एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की सम्मिलित **धनराशि रू0 290.34 लाख (रूपये दो करोड. नब्बे लाख चौंतिस हजार मात्र)** अवमुक्त की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपरिहार्य कारणों से उक्त वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 19.02.2016 को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-897(1)/बावन-1-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

UniCode Gov. Inter College. G.O

http://shasanadesh.up.nic.in

6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

7- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

8- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।

9- निदेशक, **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ।**

10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

11- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर।

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 तथा वित्त-ई-11, उ0प्र0 शासन ।

13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त निरस्तीकरण अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in